

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

1. S.B. Civil Miscellaneous Appeal No. 306/2018

1. Reena W/o Vijay @ Vijendra, 25 year,
 2. Aryaveer @ Ashivn, age 6 year Minor Through His Mother Reena W/o Vijay @ Vijendra.
 3. Mukhtar S/o Moti Lal, Age 47 Year,
 4. Manju Bai W/o Mukhtar, Age 46 Year,
 5. Mahendra S/o Mukhtar, Age 23 Year,
 6. Kumari Sunita D/o Mukhtar, Age 23 Year,
- All Appellants R/o Village Jameetpura Tehsil Taleda Distt. Bundi Rajasthan.

----Claimants/Appellants

Versus

1. Babu Lal Meena S/o Ramratan, R/o Village Jhalra Tehsil Uniyara Distt Tonk. (Driver)
2. Javed Miya @ Javer Beg S/o Yusuf Khan, R/o Shahadat Ganj Ward No.27 Tonk Rajasthan (Owner)
3. New India Insurance Co. Ltd Through Its Regional Manager At Regional Office, Nehru Place, Tonk Road, Jaipur

----Non-Claimants/Respondents

Connected With

2. S.B. Civil Miscellaneous Appeal No. 355/2018

Satynarayan S/o Chhotu Lal, R/o Village Jameetpura Teh. Taleda Distt. Bundi

----Claimant/Appellant

Versus

1. Babu Lal Meena S/o Ramratan , R/o Village Jhalra Teh. Uniyara Distt. Tonk (Driver)
2. Javed Miya @ Javed Beg S/o Yusuf Khan, R/o Shahadat Ganj Ward No. 27 Tonk Raj. (Owner)
3. New India Insurance Co. Ltd., Through Its Regional Manager At Regional Office, Nehru Place, Tonk Road, Jaipur.

----Non-Claimants/Respondents

For Appellant(s) : Mr. Sunil Jain, Adv.
For Respondent(s) : Mr. Ravindra Kumar Tomar, Adv.

HON'BLE MR. JUSTICE ASHUTOSH KUMAR

Judgment

07/05/2026

1. अपीलार्थीगण रीना व अन्य की ओर से प्रस्तुत अपील संख्या-306/2018 एवं अपीलार्थी सत्यनारायण की ओर से प्रस्तुत अपील संख्या-355/2018, दोनों दीवानी विविध अपीलें धारा-173 मोटर वाहन अधिनियम-1988 के तहत न्यायालय पारिवारिक न्यायाधीश एवं मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, बूंदी, राजस्थान (जिसे आगे 'विद्वान अधिकरण' के नाम से संबोधित किया जाएगा) द्वारा क्लेम याचिका संख्या-315/2017, रीना व अन्य बनाम बाबू लाल व अन्य में तथा क्लेम याचिका संख्या-314/2017, सत्यनारायण बनाम बाबू लाल व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 06.10.2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। उपरोक्त दोनों अपीलें एक ही दुर्घटना से संबंधित होने के कारण इनका निस्तारण सुविधा की दृष्टि से इस एक निर्णय के द्वारा एक साथ किया जा रहा है।

2. अपीलार्थीगण रीना व अन्य द्वारा अधिकरण के समक्ष विजय उर्फ विजेन्द्र की मोटर वाहन दुर्घटना में मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप कुल 80,00,000/- रुपये तथा अपीलार्थी सत्यनारायण द्वारा अधिकरण के समक्ष मोटर वाहन दुर्घटना में स्वयं के आहत हो जाने के फलस्वरूप कुल 60,00,000/- रुपये क्लेम प्राप्त करने हेतु क्लेम याचिकाएं प्रस्तुत की गयी हैं। अधिकरण द्वारा उक्त क्लेम याचिकाओं का निस्तारण करते हुए अपीलार्थीगण रीना व अन्य को कुल 9,15,000/- रुपये की क्षतिपूर्ति राशि तथा अपीलार्थी सत्यनारायण को कुल 2,52,200/- रुपये की क्षतिपूर्ति राशि मय ब्याज 9 प्रतिशत सालाना की दर से दिलवाई गयी है। अधिकरण के उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थीगण रीना व अन्य तथा अपीलार्थी सत्यनारायण की ओर से उक्त अपीलें क्षतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी किये जाने हेतु प्रस्तुत की गयी हैं।

3. **अपील संख्या-306/2018** के संबंध में दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण का तर्क रहा है कि विद्वान अधिकरण द्वारा मृतक विजय उर्फ विजेन्द्र की मासिक आय 5000/- रुपये निर्धारित की जाकर त्रुटि कारित की गई है, जबकि मृतक वक्त घटना वाइन शॉप, क्रेशर व्यवसाय व कृषि कार्य करके 60,000/- रुपये प्रतिमाह की आय अर्जित करता था। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण का यह भी तर्क रहा कि विद्वान अधिकरण द्वारा कंसोर्टियम की मद में तथा अन्य मदों में भी अत्यधिक कम राशि दिलवाई गयी है, जिनमें बढ़ोतरी की जावे।
4. इसी प्रकार **अपील संख्या-355/2018** के संबंध में दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी का तर्क रहा है विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थी सत्यनारायण की मासिक आय 5,000/- रुपये निर्धारित कर त्रुटि कारित की गयी है, जबकि अपीलार्थी वक्त घटना संपत्ति, कृषि व दुग्ध उत्पादन का कार्य कर 30,000/- रुपये प्रतिमाह की आय अर्जित करता था। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी का यह भी तर्क रहा है कि विद्वान अधिकरण द्वारा भविष्य में होने वाली सुख-सुविधा की कमी कोई राशि नहीं दिलवाई गई है तथा शारीरिक व मानसिक पीड़ा की मद में व अन्य मदों में भी अत्यंत कम राशि दिलवाई गयी है, जिनमें बढ़ोतरी की जावे। अतः अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अपीलों को स्वीकार किया जाकर क्षतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी किये जाने की प्रार्थना की गयी।
5. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता बीमा कम्पनी की ओर से अपीलार्थीगण के उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुए विद्वान अधिकरण द्वारा पारित किये गये निर्णय की पुष्टि किये जाने तथा अपीलार्थीगण की ओर से संस्थित की गयी अपीलों को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।
6. दोनों पक्षों को सुना गया। पत्रावलियों व अभिलेखों का अवलोकन किया गया।
7. दोनों अपीलों का निम्नानुसार निस्तारण किया जा रहा है।

अपील संख्या-306/2018 :-

8. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि मामले की घटना दिनांक 04.05.2015 की बताई गयी है तथा वक्त घटना मृतक विजय उर्फ विजेन्द्र को वाइन शॉप, क्रेशर व्यवसाय व कृषि कार्य करके 60,000/- रुपये प्रतिमाह आय अर्जित करना बताया गया है। किन्तु मृतक की आय के संबंध में अपीलार्थीगण की ओर से विद्वान अधिकरण के समक्ष कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है। इन परिस्थितियों में विद्वान अधिकरण द्वारा मृतक की नोशनल मासिक आय 5,000/- रुपये निर्धारित की गई। जबकि यह सुस्थापित विधि है कि जिन मामलों में मृतक की आय प्रमाणित नहीं हो, वहां उसे दैनिक वेतन भोगी मजदूर की श्रेणी में रखा जाकर तत्समय प्रचलित न्यूनतम मजदूरी की दर से ही उसकी आय निर्धारित की जाएगी। वक्त घटना मृतक को कृषि का कार्य करना बताया गया है। इन परिस्थितियों में यह न्यायालय, मृतक के कार्य की प्रकृति व घटना की तिथि 04.05.2015 को दृष्टिगत रखते हुए, वक्त घटना मृतक को अकुशल श्रमिक होना मानते हुए तत्समय प्रचलित न्यूनतम मजदूरी दर के आधार पर उसकी दैनिक आय 197/- रुपये, तदनुसार मासिक आय $197 \times 30 = 5,910/-$ रुपये निर्धारित किया जाना उचित समझती है। विद्वान अधिकरण द्वारा मृतक की निर्धारित मासिक आय पर 50 प्रतिशत की भविष्य वृद्धि की जाकर त्रुटि कारित की गई है, जिसे संशोधित किया जाना हम उचित समझते हैं। विद्वान अधिकरण द्वारा वक्त घटना मृतक की आयु 25 वर्ष निर्धारित की गई है। ऐसी स्थिति में **नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी व अन्य रिपोर्टेड इन (2017) 16 एस.सी.सी. 680** में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार मृतक की आयु को दृष्टिगत रखते हुए मृतक की निर्धारित मासिक आय 5,910/- रुपये पर भविष्य की प्रत्याशा की मद में **40 प्रतिशत (2,364/- रुपये)** की बढ़ोतरी किया जाना अपेक्षित है। इस प्रकार कुल शुद्ध मासिक आय **8,274/- रुपये** निर्धारित की जाती है, जो क्षतिपूर्ति गणना का आधार रहेगी।

9. वक्त घटना मृतक के ऊपर 6 आश्रित बताए गए हैं। ऐसी स्थिति में मृतक के व्यक्तिगत खर्च की कटौती के मद में $1/4$ भाग की कटौती किया

जाना अपेक्षित है। तदनुसार 8,274/— रुपये का 1/4 भाग 2,068/— रुपये होता है, जिसे निर्धारित मासिक आय में से घटाने के उपरांत आश्रित आय की शेष राशि 6,206/— रुपये होती है। विद्वान अधिकरण द्वारा वक्त घटना मृतक की आयु 25 वर्ष निर्धारित की गई है। ऐसी स्थिति में **सरला वर्मा व अन्य बनाम देहली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन व अन्य रिपोर्टेड इन (2009) 6 एस.सी.सी. 121** तथा **प्रणय सेठी (उपरोक्त)** के मामले में प्रतिपादित सिद्धान्त के आधार पर मृतक की आयु को दृष्टिगत रखते हुए **18 का गुणक** लगाया जाना अपेक्षित है। तदनुसार मृतक की निर्धारित आय 6,206/— रुपये के आधार पर अपीलार्थीगण को होने वाली आश्रित आय की कुल क्षति **6,206 x 12 x 18 = 13,40,496/— रुपये** होती है, जो अपीलार्थीगण प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

10. विद्वान अधिकरण द्वारा कंसोर्टियम की मद में अपीलार्थीगण को कुल 1,00,000/— रुपये की राशि दिलवाई गयी है। माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत **प्रणय सेठी (उपरोक्त)** व **यूनाइटेड इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम सतिन्दर कौर उर्फ सतविन्दर कौर व अन्य रिपोर्टेड इन (2021) 11 एससीसी 780** व अन्य न्यायिक दृष्टांत **मेगमा जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम नानू राम उर्फ चुहू राम व अन्य रिपोर्टेड इन (2018) 18 एससीसी 130** के मामलों में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक आश्रित को 40,000/— रुपये कंसोर्टियम की मद में दिलवाये जाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है।

11. ऐसी स्थिति में हम, **प्रणय सेठी (उपरोक्त)**, **सतिन्दर कौर उर्फ सतविन्दर कौर (उपरोक्त)** व **नानू राम उर्फ चुहू राम (उपरोक्त)** के मामलों में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार मृतक की पत्नी अपीलार्थी संख्या-1 को “स्पाउस कंसोर्टियम” की मद में 40,000/— रुपये, मृतक के पुत्र अपीलार्थी संख्या-2 को “पैरेंटल कंसोर्टियम” की मद में 40,000/— रुपये व मृतक के पिता व माता अपीलार्थी संख्या-3 व 4 तथा भाई व बहन अपीलार्थी संख्या-5 व 6 को “फिलीयल कंसोर्टियम” की मद में प्रत्येक को 40,000/— रुपये (**कुल 2,40,000/— रुपये**) की राशि दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

12. विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थीगण को अंतिम संस्कार की मद में 10,000/- रुपये तथा सम्पदा की हानि के मद में कोई राशि नहीं दिलवाई गयी है। अतः अंतिम संस्कार की मद में तथा सम्पदा की हानि के मद में हम, **प्रणय सेठी (उपरोक्त)** के मामले में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार 15,000-15,000/- रुपये (**कुल 30,000/- रुपये**) की राशि अपीलार्थीगण को दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

13. विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थीगण को यातायात तथा वाद व्यय की मद में कुल 10,000/- रुपये की राशि दिलवाई गई, जो **प्रणय सेठी (उपरोक्त)** के आलोक में देय नहीं है।

14. उक्तानुसार अपीलार्थीगण की ओर से संस्थित की गई उक्त अपील को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर अपीलार्थीगण निम्न प्रकार से क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के अधिकारी हैं :-

क्रम सं.	शीर्ष/मद	इस निर्णय के तहत निर्धारित की गयी राशि (रुपये में)
1.	आश्रित आय की क्षति के मद में	13,40,496 /-
2.	कंसोर्टियम के मद में	2,40,000 /-
3.	अंतिम संस्कार के मद में	15,000 /-
4.	सम्पदा की हानि के मद में	15,000 /-
इस न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई कुल क्षतिपूर्ति राशि		16,10,496 /-
विद्वान अधिकरण द्वारा दिलवाई गई क्षतिपूर्ति राशि (-)		9,15,000 /-
बढ़ोतरी पश्चात क्षतिपूर्ति राशि में अंतर		6,95,496 /-

15. तदनुसार उक्त **अपील संख्या-306/2018** आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर विद्वान अधिकरण द्वारा पारित पंचाट, जिसके द्वारा अपीलार्थीगण को **9,15,000/- रुपये** दिलवाये जाने का निर्णय पारित किया गया है, के स्थान पर **16,10,496/- रुपये** का पंचाट पारित किया जाता है।

अपील संख्या-355/2018 :-

16. मामले की दुर्घटना में अपीलार्थी को कारित हुई चोटों के फलस्वरूप उसके शरीर पर कुल 30 प्रतिशत स्थाई निर्योग्यता आना पाया गया है, जैसा कि स्थायी निर्योग्यता प्रमाण पत्र प्रदर्श-20 के अवलोकन से स्पष्ट है। मोटर दुर्घटना में आहत व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति दिलवाये जाने के संदर्भ में माननीय

उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने न्यायिक दृष्टांत **Anant Son of Sidheswar Dukre Vs. Pratap son of Zhampannappa Lamzane & Anr.** reported in **(2018) 9 Supreme Court Cases 450**, में सिद्धान्त प्रतिपादित किया है जो निम्न प्रकार से है :-

"12. In case of motor accidents leading to injuries and disablements, it is a well settled principle that a person must not only be compensated for his physical injury, but also for the non-pecuniary losses which he has suffered due to the injury. The claimant is entitled to be compensated for his inability to lead a full life, and enjoy those things and amenities which he would have enjoyed, but for the injuries."

"13. The purpose of compensation under the Motor Vehicles Act is to fully and adequately restore the aggrieved to the position prior to the accident. This Court in Yadava Kumar v. National Insurance Co. Ltd. explained "just compensation" in the following words:"

"15. It goes without saying that in matters of determination of compensation both the tribunal and the court are statutorily charged with a responsibility of fixing a "just compensation". It is obviously true that determination of a just compensation cannot be equated to a bonanza. At the same time the concept of "just compensation" obviously suggests application of fair and equitable principles and a reasonable approach on the part of the tribunals and courts. This reasonableness on the part of the tribunal and court must be on a large peripheral field."

17. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि मामले की घटना दिनांक 04.05.2015 की बताई गयी है तथा वक्त घटना अपीलार्थी सत्यनारायण को 28 वर्ष की आयु का होना बताते हुए संपत्ति, कृषि व दुग्ध उत्पादन का कार्य कर 30,000/- रुपये प्रतिमाह की आय अर्जित करना अवश्य बताया गया है। किन्तु अपीलार्थी की आय के संबंध में अपीलार्थीगण की ओर से विद्वान

अधिकरण के समक्ष कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है। इन परिस्थितियों में विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थी की नेशनल मासिक आय 5,000/— रुपये निर्धारित की गई। जबकि यह सुस्थापित विधि है कि जिन मामलों में अपीलार्थी की आय प्रमाणित नहीं हो, वहां उसे दैनिक वेतन भोगी मजदूर की श्रेणी में रखा जाकर तत्समय प्रचलित न्यूनतम मजदूरी की दर से ही उसकी आय निर्धारित की जाएगी। वक्त घटना अपीलार्थी को कृषि का कार्य करना बताया गया है। इन परिस्थितियों में यह न्यायालय, अपीलार्थी के कार्य की प्रकृति व घटना की तिथि 04.05.2015 को दृष्टिगत रखते हुए, वक्त घटना अपीलार्थी को अकुशल श्रमिक होना मानते हुए तत्समय प्रचलित न्यूनतम मजदूरी दर के आधार पर उसकी दैनिक आय 197/— रुपये, तदनुसार मासिक आय $197 \times 30 = 5,910/—$ रुपये निर्धारित किया जाना उचित समझती है। विद्वान अधिकरण द्वारा वक्त घटना अपीलार्थी की आयु 28 वर्ष निर्धारित की गई है। ऐसी स्थिति में **नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी व अन्य रिपोर्टेड इन (2017) 16 एस.सी.सी. 680** में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार अपीलार्थी की आयु को दृष्टिगत रखते हुए अपीलार्थी की निर्धारित मासिक आय 5,910/—रुपये पर भविष्य की प्रत्याशा की मद में **40 प्रतिशत (2,364/— रुपये)** की बढ़ोतरी किया जाना अपेक्षित है। इस प्रकार कुल शुद्ध मासिक आय **8,274/— रुपये** निर्धारित की जाती है, जो क्षतिपूर्ति गणना का आधार रहेगी।

18. हस्तगत दुर्घटना में अपीलार्थी के दाएं पैर में अस्थिभंग व अन्य गंभीर चोटें कारित हुई हैं। अपीलार्थी के कारित चोटों के सामूहिक प्रभाव से अपीलार्थी के शरीर में कुल 30 प्रतिशत स्थायी निर्योग्यता आना पाया गया है, जैसा कि स्थाई निर्योग्यता प्रमाण-पत्र प्रदर्श-20 के अवलोकन से स्पष्ट है। किन्तु विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थी को कारित 30 प्रतिशत स्थाई निर्योग्यता को सम्पूर्ण शरीर के परिप्रेक्ष्य में 13 प्रतिशत ही आंका गया है।

19. इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित न्यायिक दृष्टान्त

Prakash Chand Sharma Vs. Rambabu Saini & Anr. reported in

2025 SCC Online SC 276, के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित मत व्यक्त किया है :-

"9. The Tribunal questioned the competence of the Medical Board to assess the permanent disability of the claimant-appellant, terming the certificate of the Medical Board as not completely reliable. If the Tribunal had reason to doubt the medical certificate, the option available before it was to have the disability re-assessed but it could not have gone into the details of the determination of disability. Since that course of action has not been adopted, the opinion of the Medical Board, being an opinion of the experts is to be treated as such. That apart, the comatose state of the claimant-appellant is not in dispute."

20. इस प्रकार उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह माना गया है कि विद्वान अधिकरण, स्थायी निर्योग्यता प्रमाण पत्र में दर्शायी गयी स्थायी निर्योग्यता को कम नहीं कर सकता। यदि विद्वान अधिकरण को स्थायी निर्योग्यता प्रमाण पत्र के संबंध में संदेह था तो वह स्थायी निर्योग्यता के संबंध में पुनः विशेषज्ञ की राय प्राप्त कर सकता था। अन्यथा ऐसी स्थिति में मेडिकल बोर्ड के विशेषज्ञों द्वारा स्थायी निर्योग्यता प्रमाण पत्र में जो स्थायी निर्योग्यता दर्शायी गयी है, वह पूर्ण स्थायी निर्योग्यता विशेषज्ञों की राय अनुसार यथावत मानी जावेगी।

21. हस्तगत मामले में स्थायी निर्योग्यता प्रमाण पत्र प्रदर्श-20 पंडित बृज सुंदर शर्मा राजकीय चिकित्सालय, बून्दी के मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। अपीलार्थी को खेती का कार्य करना बताया गया है, जो कि एक श्रमसाध्य कार्य है व इस कार्य को करने के लिए सम्पूर्ण शरीर का बल लगाना पड़ता है। अपीलार्थी के पैर में दो अस्थिभंग की चोटें आई हैं। अतः **प्रकाश चन्द शर्मा (उपरोक्त)** के मामले में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार हस्तगत मामले में हम, अपीलार्थी के स्थायी निर्योग्यता प्रमाण पत्र प्रदर्श-20 में अंकित 30 प्रतिशत स्थायी निर्योग्यता को सम्पूर्ण शरीर के परिप्रेक्ष्य में 30 प्रतिशत आंका जाना उचित समझते हैं। तदनुसार अपीलार्थी की मासिक आय 8,274/- रुपये का 30 प्रतिशत 2,482/- रुपये होता है जो अपीलार्थी को

भविष्य में होने वाली आय की मासिक क्षति है। विद्वान अधिकरण द्वारा वक्त घटना अपीलार्थी को 28 वर्ष का माना गया है। ऐसी स्थिति में **सरला वर्मा व अन्य बनाम देहली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन व अन्य रिपोर्टेड इन (2009) 6 एस.सी.सी. 121** तथा **प्रणय सेठी (उपरोक्त)** के मामलों में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार अपीलार्थी को भविष्य में होने वाली आय की क्षतिपूर्ति की गणना हेतु अपीलार्थी की आयु को दृष्टिगत रखते हुए **17 का गुणक** लगाया जाना अपेक्षित है। तदनुसार अपीलार्थी को भविष्य में होने वाली आय की कुल क्षति **2,482 x 12 x 17 = 5,06,328/— रुपये** होती है जो अपीलार्थी प्राप्त करने का अधिकारी है।

22. विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थी को साधारण व गंभीर चोटों की मद में 6,000/— रुपये, 6 दिवस तक अस्पताल में भर्ती रहने की मद में 6,000/— रुपये, मेडिकल बिलों की मद में 64,600/— रुपये, वाद व्यय की मद में 5,000/— रुपये, परिवहन व्यय की मद में 5,000/— रुपये की राशि दिलवाई गई है। अतः उक्त मदों में दिलवाई गई राशि में हम कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं।

23. विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थी को शारीरिक व मानसिक पीड़ा की मद में 20,000/— रुपये की राशि दिलवाई गई है, जिसे संशोधित करते हुए हम अपीलार्थी को 30,000/— रुपये की राशि दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

24. विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थी को भविष्य की सुख-सुविधा की कमी, पौष्टिक आहार की मद में पृथक से कोई राशि नहीं दिलवाई गई है। अतः हम अपीलार्थी को भविष्य की सुख-सुविधा की कमी की मद में 30,000/— रुपये, पौष्टिक आहार की मद में 10,000/— रुपये की राशि पृथक से दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

25. विद्वान अधिकरण द्वारा ईलाजरत अवधि के दौरान हुई आय की हानि की मद में अपीलार्थी को कोई राशि नहीं दिलवाई गई है। हस्तगत मामले की दुर्घटना में अपीलार्थी को कारित हुई चोटों के फलस्वरूप उसका इलाज करीब 1 माह तक चला है। इस प्रकार अपीलार्थी करीब 3 माह तक कार्य करने में असमर्थ रहा होगा। ऐसी स्थिति में हम 3 माह की आय की हानि के मद में

5,910 X 3 = 17,730 /— रुपये की राशि अपीलार्थी को दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

26. उक्तानुसार अपीलार्थी/क्लेमेंट निम्न प्रकार से क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने का अधिकारी है :—

क्रम संख्या	शीर्ष/मद	इस निर्णय के तहत निर्धारित की गयी राशि
1.	भविष्य में होने वाली आय अर्जन की क्षमता में कमी के मद में	5,06,328 /— रुपये
2.	साधारण व गंभीर चोटों की मद में	6,000 /— रुपये
3.	6 दिवस तक अस्पताल में भर्ती रहने की मद में	6,000 /— रुपये
4.	मेडिकल बिलों की मद में	64,600 /— रुपये
5.	वाद व्यय की मद में	5,000 /— रुपये
6.	परिवहन एवं यातायात पर व्यय हुई राशि के मद में	5,000 /— रुपये
7.	शारीरिक व मानसिक पीड़ा के मद में	30,000 /— रुपये
8.	भविष्य में होने वाली सुख-सुविधा की कमी की मद में	30,000 /— रुपये
9.	पौष्टिक आहार की मद में	10,000 /— रुपये
10.	3 माह की आय की क्षति की मद में	17,730 /— रुपये
11.	इस न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई क्षतिपूर्ति राशि	6,80,658 /— रुपये
12.	विद्वान अधिकरण द्वारा दिलवाई गई क्षतिपूर्ति राशि	2,52,200 /— रुपये
13.	बढ़ोतरी पश्चात क्षतिपूर्ति राशि में अंतर	4,28,458 /— रुपये

27. तदनुसार उक्त **अपील संख्या-355/2018** आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर विद्वान अधिकरण द्वारा पारित पंचाट, जिसके द्वारा अपीलार्थीगण को **2,52,200 /— रुपये** दिलवाये जाने का निर्णय पारित किया गया है, के स्थान पर **6,80,658 /— रुपये** का पंचाट पारित किया जाता है।

28. अपीलार्थीगण रीना व अन्य द्वारा तथा अपीलार्थी सत्यनारायण द्वारा पूर्व में प्राप्त की गयी राशि को पंचाट राशि में से समायोजित किया जाकर शेष राशि अपीलार्थीगण प्राप्त करने के अधिकारी पाये जाते हैं।

29. विद्वान अधिकरण द्वारा क्षतिपूर्ति राशि पर याचिका दायर करने की तिथि से अपीलार्थीगण रीना व अन्य तथा अपीलार्थी सत्यनारायण को 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दिलवाया गया है, इसमें हम कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं। अतः इस आदेश द्वारा बढ़ाई गई क्षतिपूर्ति राशि पर याचिका

दायर करने की तिथि से अपीलार्थीगण रीना व अन्य तथा अपीलार्थी सत्यनारायण 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

30. अपीलार्थीगण को देय क्षतिपूर्ति राशि पर नियमानुसार आयकर कटौती की जावेगी।

31. निर्णय की प्रति के साथ प्रकरण का अभिलेख संबंधित अधिकरण को लौटाया जावे।

32. तदनुसार यह अपीलें निस्तारित की जाती है।

33. सभी लम्बित प्रार्थना-पत्रों को भी उपरोक्तानुसार निस्तारित किया जाता है।

(ASHUTOSH KUMAR),J